

भाग—IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	पन्ना जिले के वन मंडल दक्षिण पन्ना के अंतर्गत प्रभावित 21.00 हेक्टेयर वन भूमि 33 के.वी. सलेहा से कल्दा विद्युत लाईन निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता, म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड, संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

(हस्ताक्षर)
(सुनील अग्रवाल)

भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

तिथि: 13.12.2019

स्थान: भोपाल